

सूजन ने तीन सौ बच्चों को कराई साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग



चेतना कार्यालय

राठ (हमीरपुर)। सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करने वाली सामाजिक संस्था सूजन द्वारा विवक हील फाउण्डेशन के सहयोग से साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग करबे के चरखारी रोड स्थित सरस्वती बालिका मंदिर में दी गयी। कार्यक्रम का शुभारंभ चौकी प्रभारी कोट बाजार सविता सरोज ने किया। इस दौरान विवक हील फाउण्डेशन की सीनियर एक्जीक्यूटिव सुंगधा दानी ने करीब दो सैकड़ा बच्चों को ई ट्रेनिंग दी।

ट्रेनिंग सेसन को संबोधित करते हुए सुंगधा दानी ने बच्चों को समझाया कि कभी भी बिना जांचे परखे सोशल

मीडिया पर कोई लिंक न खोलें। साथ ही किसी भी अज्ञात सॉफ्टवेयर को भी कभी भी अपने सिस्टम में डाउनलोड न करें। कहा कि किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपनी सारी जानकारी साझा नहीं करें और न ही किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को पब्लिक रखें। अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं तो उस पर निजी जानकारी व तरस्वीरें साझा न करें। बताया कि जिस बैंक अकाउंट को नेट बैंकिंग से जोड़ें उस के ओटीपी और कार्ड के नम्बर को किसी से साझा न करें। इस दौरान बच्चों को सेफ इंटरनेट उपयोग की भी शपथ दिलाई। इस दौरान विद्यालय की प्रबन्धक सांवल प्रधानाचार्या प्रवेश तिवारी,

संस्था के हेड विनय गुप्ता, शिवांक मिश्र, राजनंदनी, पूजा अग्रवाल व श्रीवास्तव, प्रशांत चौरसिया, हरिशरण साधना आदि मौजूद रहे।



कार्यालय विक्रम (जोन-2) कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर

- : आवश्यक सूचना :-

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भवन संख्या-ई-419/1550, ई0डब्ल्यू०एस० योजना -रत्नपुर क्षेत्रफल 47.64 वर्ग मीटर आवासीय का आवंटन दिनांक 27.10.1999 को आवंटित होने के उपरान्त फ्रीहोल्ड डीड दिनांक 23.12.2019 को श्रीमती रेनू भाटिया पत्नी श्री वेद प्रकाश भाटिया के पक्ष में निष्पादित हुई है। उक्त भवन की फ्रीहोल्ड डीड उपरान्त भवन के मूल आवंटनी श्रीमती रेनू भाटिया ने उक्त भवन का पंजीकृत बैनामा दिनांक 01.02.2020 को श्रीमती स्नेह चौहान पत्नी श्री शिव प्रताप सिंह को कर दिया जो उप निबन्धक के बही संख्या-1 जिल्द संख्या-12240 के पृष्ठ संख्या -119 से 148 तक क्रमांक 978 दिनांक 01.02.2020 रजिस्ट्रीकृत है। श्रीमती स्नेह चौहान द्वारा कार्यालय में प्रार्थना पत्र, आधार कार्ड, फोटोयुक्त शपथ पत्र एवं बैनामा की सत्यापित प्रति प्रस्तुत कर अपने पक्ष में नामान्तरण करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त नामान्तरण बैनामा के आधार पर श्रीमती स्नेह चौहान पत्नी श्री शिव प्रताप सिंह का नाम प्राधिकरण अभिलेखों में अंकित किये जाने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति साक्ष्यों सहित विज्ञापन से 30 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त करा दे, तदोपरान्त प्राप्त आपत्ति, प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

विशेष कार्याधिकारी,
(जोन -2)